

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3049(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 06.08.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2033 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया, वसंत विहार, दरवाजा सं. 124-126 (पुराना नं. 64-65), ग्रीनवेज रोड, राजा अन्नामलाईपुरम्, चेन्नई-600028, तमिलनाडु” द्वारा “ग्रामीण स्कूल, ग्रामीण अस्पताल और सामुदायिक विकास कार्य के विकास और विस्तार के लिए प्रस्ताव” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 9.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2396 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया, वसंत विहार, दरवाजा सं. 124-126 (पुराना नं. 64-65), ग्रीनवेज रोड, राजा अन्नामलाईपुरम्, चेन्नई-600028, तमिलनाडु” द्वारा चलाई जा रही “ग्रामीण स्कूल, ग्रामीण अस्पताल और सामुदायिक विकास कार्य के विकास और विस्तार के लिए प्रस्ताव” की परियोजना अथवा स्कीम को 68.12 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात्, 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 239 /2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)